(9)

समक्ष : श्रीमान् राजस्व मंण्डल ग्वालियर कैम्प, जबलपुर, म0प्र0

राजस्व प्रकरण क्रमांक- /05 R-965-II/2005

याचिकाकर्ता- :- परदेशी, आयु लगभग-45 साल, आत्मज-देऊ लोधी, निवासी- ग्राम-मोहगांव का खोंगाटोला, तह0-वारासिवनी, जिला-बालाघाट {म0प्र0}

विरुद्ध

उत्तरवादी :- भीकमचंद बल्द रावतमल पगारिया, आयु लगभग-64 साल, निवासी- मोहगांव का खोंगाटोला, तह0-वारासिवनी, जिला-बालाघाट {म0प्र0}

02 ... 2005

नांक 1-7-05
लपुर कैम्प पर
न्त कार्यों की
क बुक से
1-7-05

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा- 50 मध्य प्रदेश भू-राजस्व संहिता

याचिकाकर्ता, न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, जबलपुर, संभाग-जबलपुर द्वारा प्रकरण क्र0- 157-अ-6-92-93 भीकमचंद विरुद्ध परदेशी में पारित आदेश दिनांक- 20.12.04 से परिवेदित होकर, को चुनौती देते हुए निम्न लिखित तथ्यों एवं विधिक आधारों पर पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत करता है :-

{1} यह कि, याचिकाकर्ता के विरूद्ध उत्तरवादी द्वारा एक अपील अतिरिक्त कमिश्नर जबलपुर के समक्ष प्रस्तुत करते हुए, उसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी वारासिवनी द्वारा राजस्व प्रकरण क्रमांक- 75-अ-6-89-90 में पारित आदेश दिनांक- 8.9.92 को चुनौती दी गई थी ।

{2} यह कि, उत्तरवादी द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत कर, राजस्व प्रकरण क्रमांक- 2-अ-6-88-89 में पारित आदेश दिनांक -10.7.89 को चुनौती दी गई थी, जिसमें कि याचिकाकर्ता के पक्ष में मृत्यु पत्र के आधार पर नामांतरण किया गया था । उक्त नामांतरण की कार्यवाही पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाकर की गई थी ।

2/2/05

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश R-965/11/05	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22/5/15	आवेदक अभि. श्री संजय जैन उप. उन्होंने अनुरोध किया कि वे इस प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। उनका अनुरोध मान्य करते हुए यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रधा. सदस्य	प्रकरण मैं नहीं चलाना चाहता हूँ Sanjay Jain Adv. 22/5/15